

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०

Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांक : इ०रा०वि०वि० / कु०स०का० / १३७ / २०१८

दिनांक : १० मार्च, २०१८

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या
(राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित)
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

विषय : सत्र 2017–18 की वार्षिक परीक्षाओं में विश्वविद्यालय द्वारा योजित शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि विश्वविद्यालय की सत्र 2017–18 की वार्षिक परीक्षायें 12 मार्च, 2018 से प्रारम्भ होने जा रही हैं। उक्त परीक्षाओं को सुचारू रूप से सम्पादित कराने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यों में महाविद्यालयों के शिक्षकों को योजित किया जायेगा। इस सन्दर्भ में कृतिपय शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गये कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु महाविद्यालय प्रबंधन / प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, जिससे परीक्षा कार्य बाधित होता है।

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 13.18 में निम्नलिखित व्यवस्था है—
“Every affiliated college shall make available to the University its buildings, libraries and laboratories with their equipments and apparatuses and also the services of such of its teaching and other staff as may be necessary for the purpose of conducting the University examination.”

अतः उपर्युक्त के क्रम में आदेशानुसार सूचित करना है कि यदि आपके महाविद्यालय के ऐसे शिक्षकों जिन्हें 2017–18 की वार्षिक परीक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा योजित किया जाता है तो उन्हें तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें, ताकि विश्वविद्यालय परिनियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन न हो और शासनादेश दिनांक 01.02.2018 के अनुरूप समस्त परीक्षाओं को शुभितापूर्ण एवं नकलविहीन ढंग से समय सम्पन्न कराया जा सके।

भवदीय

डॉ०(साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. उपकुलसचिव (परीक्षा), इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
4. निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी / कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समस्त कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

कुलसचिव